बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–ज0वि0प्र0–04 / 2018–2928 खाद्य, पटना / दिनांक– 20-06-18

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

विषय :– **जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह (SHG) को नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु मार्गदर्शन के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक–232 दिनांक–12.03.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह को नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में विधि विभाग से मार्गदर्शन / परामर्श प्राप्त किया गया है, जो निम्नवत् है :–

"बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–8 में यह जिक्र है कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–9 (V) में यह जिक्र है कि उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास होना चाहिए। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–9(x) में यह जिक्र है कि महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के नाम से उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी तथा इसका संचालन इनकी प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उचित मूल्य के दुकान के अनुज्ञप्ति हेतु मैट्रिक पास होना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में स्वयं सहायता समूह के प्रबंध समिति के अध्यक्ष / सचिव जो मैट्रिक पास होंगे, वही अनुज्ञप्ति हेतु आवेदनकर्त्ता होंगे"।

अतः अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक–1222 दिनांक–08.03.2017 के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

19/6

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–04 / 2018–2928 खाद्य, पटना / दिनांक– 20-06-18

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/XVIII

सरकार के अपर सचिव।

D:\M_2016\Sec_7\PDS_Letter.doc